महत्वपूर्ण / ईमेल

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

संख्या– मु0चि0अ0 / एन.टी.सी.पी. / 2021– 5600 दिनांक –18/06/2021

विषय– सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम–2003 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत तम्बाकू उत्पाद के विक्रय हेतु जनपद के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में **Vendor Licensing** की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक – राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / 8927 दिनांक 14.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डा0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास अनुभाग–9 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या – 1080 / नी–9–21–121ज / 20, दिनांक 08 जून 2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, (पत्र एवं ड्राफ्ट दिशा निर्देश की छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन्–1950) की धारा – 437, धारा–438 की उपधारा (1) के खण्ड –(घ), धारा–452 और धारा–541 के खण्ड (20), (41) और (49) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम– 2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदो को नगर निगम के सभी क्षेत्रों में **Vendor Licensing** की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप जनपद आगरा के समस्त नगर निगम / स्थानीय निकायों से समन्वय स्थापित करते हुये जनपद आगरा के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में **Vendor Licensing** की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा

संख्या एवं दिनांक तदैव –

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, नगर विकास अनुभाग – 9, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
6. उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लखनऊ।
7. राज्य नोडल अधिकारी, एन0टी0सी0सी0 उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
8. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आगरा मण्डल, आगरा।
9. जिला नोडल अधिकारी एन0टी0सी0पी0 आगरा।
10. अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एफ0ए0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आप जनपद आगरा में लाइसेंसिंग प्रणाली लागू किये जाने के लिये तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
11. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0 आगरा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा